

लय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)


आदेश पत्रक


वाद सं०- M 50 / 20 19

धारा-107 द०प्र०सं०

करमी देवी वगैरह बनाम शिवलाल कलिन्दी वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम.....50...../20.....19..... में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सोनाहालु (राँची)</u> के अप्राथमिकी सं०- 10/19 दिनांक- 05-07-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>सोनाहालु (राँची) ब्याग काण्ड सं० 38/19 दिनांक 16-6-19</u> पता 342/323/324/354/504/379/34 आ०द०वि० की लैक्ट दौरोपनी के तनाव 87</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 04/08/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश की तारीख एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई एवं टिप्पणी
तारीख सहित

13 ⁰³/₂₀₂₀

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र
क्रमांक 01,02 उपलिप्त अन्य अधुना
द्वितीय पत्र क्रमांक 01,03 उपलिप्त
अन्य अधिवक्ता धरणी । प्रथम पत्र
अधिवक्ता द्वारा गवर्नी हेतु अगली तिथि
की मांग की गई । दिनांक 20-03-2020
को रखी ।

श. 20/03

20 ⁰³/₂₀₂₀

उपपत्र की जोर से धरणी दी गई ।
पीछली पत्र अन्य कार्य के व्यस्ता दिनांक
03-04-2020 को रखी ।

03-04-20

06-7-20

अभिलेख उपस्थापित । उक्त वाद के
6 (ठे.) वाद की अधि रण ही रखी
है, अर्थात् वाद के कालनाहित ही गया है ।
अतः वाद के अधिलेख की कार्यवाही को
बन्द की जाती है ।

कार्य 02/03/20
श. 20/03

कार्य 02/03/20
श. 20/03